चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/3607
दिनांक : 16.12.2011

सचिव
हरि कालेज ऑफ लॉ,
रणदेवी, नकुड़ (सहारनपुर)

महोदय,

कुलाधिपति के अनुसचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई0सं0 3407/जी0एस0, दिनांक 14.05.2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) के अधीन **हरि कालेज ऑफ लॉ, रणदेवी, नकुड़ (सहारनपुर)** को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **एल–एल0बी0 (तीन वर्षीय)** पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता** की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :–

1. महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की मान्यता प्राप्त करने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश प्रदान किया जायेगा तथा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश का पालन किया जायेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एंव इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **हरि कालेज ऑफ लॉ, रणदेवी, नकुड़ (सहारनपुर)** को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **एल–एल0बी0 (तीन वर्षीय)** पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय/बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :–
1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव